संख्या- 128 /2015-1415/नौ-5-15-10एनजीआरबीए/2012

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 31 मार्च, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2014-15 में एनजीआरबीए कार्यक्रम के अन्तर्गत इलाहाबाद के सलोरी क्षेत्र में 14 एमएलडी क्षमता के सीवेज शोधन सयंत्र की स्थापना संबंधी परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ राज्यांश की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण अभीकरण के पत्र संख्या-1913/0077/एसजीआरसीए/18, दिनांक 19.12.2014 तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार के पत्र संख्या-आई-19012/8/2011-एनएमसीजी-एनजीआरबीए, दिनांक 28.02.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि " **नेशनल गंगा रीवर बेसिन अथारिटी कार्यक्रम**" के अन्तर्गत इलाहाबाद के सलोरी क्षेत्र में 14 एमएलडी क्षमता के सीवेज शोधन सयंत्र की स्थापना संबंधी परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित लागत रू0 42.40 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 180.00 लाख (केन्द्रांश) जो गत वित्तीय वर्ष में उ0प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण को सीधे उपलब्ध करायी गई है के आधार पर राज्यांश के रूप में रू0 77.10 लाख (रू0 सत्हत्तर लाख दस हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते है :-

(1) उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ तथा विशेष सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके लखनऊ कोषागार/ भारतीय स्टेट बैक से आहरित कर व्यय की जायेगी ।

(2) इस स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैक/ पोस्ट आफिस /डिपाजिट खाते /पीएलए में नही रखा जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत जारी किये गये दिशा निर्देशो के अनुरूप अनुमोदित योजना पर ही व्यय की जायेगी, जिसका विस्तृत विवरण तथा भौतिक प्रगति शासन को प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक भेजा जाना आवश्यक हैं ।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो पर किया जायेगा जिसका लिये स्वीकृत की जा रही है । स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में नही किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र दिशा -निर्देशो के अनुसार यथासमय शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को भेजा जाना वांछनीय है ।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों /उपक्रमो में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

go finance mangal font

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-02-मल-जल तथा सफाई-107-मल-जल सेवायें -01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101- नेशनल गंगा रीवर बेसिन अथारिटी के अन्तर्गत संचालित परियोजनाए (के.70/रा.30) -35-पूर्जीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशाकीय पत्र संख्या- ई-8-1198 /दस-2015, दिनांक 31 मार्च 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय

(उमाशंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 128 /2015-1415/नौ-5-15-10एनजीआरबीए/2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशरः-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/इलाहाबाद ।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो
7- मुख्य अभियंता (इला0 क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम,इलाहाबाद।
8- वित्त निदेशक/ तकनीकी सलाहाकार, राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण, लखनऊ।
9- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- नियोजन अनुभाग- 3/4
11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

shashnadesh.up.nic.in/ntra